

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो. अरुन्ती कल्याणी, उपसंचालक 2. वर्तमान धारित पद उपसंचालक

3. वर्तमान वेतन 11575+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख फरवरी 2011

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) ग्राम लाऊखोडी में खसरा नं. 244/246/247 में 25/10 1951 से 180x165 sq ft भूमि का बंधक है। तारीख 27.10.1970 से वसुधा के नाम से 2 जि.टी.ए. (180x100 sq feet) को संयुक्त परिवार के प्रथम हिस्से के जो भाग मिला, तालुका मुख्यालय लाऊखोडी में। (2) भोपाल ग्राम, वावडिया बस्ता में HIG Flar में पति के नाम पर	T-35 अरुन्ती कल्याणी RCC की इमारत जो 180x165 sq ft परिसर में बनाई। (नोट: विवाह से पूर्व)	180x165 sq ft परिसर में 27.10.1970 से 25/10/1951 से 180x100 sq ft का बंधक है। कुल र. 12000 की 2 जि.टी.ए. (कलेक्टर के दस्तावेज) वर्तमान मूल्य र. 6.00 लाख में 30%	संयुक्त परिवार संयुक्त पक्ष (8 भागों में 1 भाग पर है।)  मेरे स्वयं के पति के नाम पर (संयुक्त)	25.10.1951 से आज तक बंधक है। तारीख 27.10.70 की 2 जि.टी.ए. 180x100 का है जो मेरे स्वयं के नाम पर है।  र. 4.50 के 10% पति द्वारा CPF से, 1.25 लाख 50% धन से तथा अन्य संपत्ति कायम से	संयुक्त परिवार के उपयोग में है।  वर्तमान में रिक है।	सिविल अस्पताल में संयुक्त परिवार द्वारा वाद दाखल कर सिविल एड की अर्जित प्रयोजना है। (180x65 sq ft) के लिए। (आवक में 6% गैर विव। 011-31117)	

\* - जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Bhubaly  
 नाम अरुन्ती कल्याणी  
 पद उपसंचालक